न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी – 2990/2018/विदिशा/भू.रा.

श्री आर.एम. लेंगा द्वारा आज दि. 18-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 28-5-18 नियत किया।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 18

1. रिजवान खॉ
2. अरमान खॉ
3. सलमान खॉ पुत्रगण गप्पू खॉ निवासीगण ग्राम मेहमूदा तहसील बासोदा जिला विदिशा म.प्र.

..........आवेदकगण

बनाम

1. रामगोपाल नामदेव पुत्र आलमचंद निवासी बरेठ रोड वार्ड नं. 6 लड्डा एजेन्सीज वाली गली गंज बासोदा जिला विदिशा म.प्र.
2. पप्पू खॉ पुत्र मेहराव खा निवासी ग्राम मेहमूदा तहसील गंज बासोदा जिला विदिशा

.... अनावेदकगण

Rozaeya आर.एम. लेंगा 14/5/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बानगर तहसील बासोदा जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/ अ- 6 / 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, आवेदकगण के पिता पप्पू खां अनावेदक क्रमांक 2 के स्वतन्त्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम मेहमूदा तहसील बासौदा में सर्वे नं. 345/ 2 रकवा 0.205 हे. सर्वे नं. 346 रकवा 1.472 हे. कल किता 2 कुल रकवा 1.677 हे. स्थित है

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी - 2990/2018/विदिशा/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/6/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य अंतरिम आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 को बिना कारण दिए निरस्त कर दिया है जबकि उन्हें आवेदन निरस्त करने के संबंध में बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करते हुए उन्हें यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर दोनों पक्षों को पुनः सुनकर बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रशा0 सदस्य	